कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान

2166. **प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी संस्थानों को कितनी राशि का अनुदान दिया गया :

(ख) उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस धनराशि को मुहैया कराया गया था,

(ग) क्या इस अवधि के दौरान प्रदत धनराशि का उचित रूप में उपयोग हुआ था, और

(घ) यदि हां, तो इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इसका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान संस्थाओं की संख्या तथा उन्हें दिए गए अनुदान को दर्शानें वाला कार्यक्रम-वार ब्यौरा विवरण-क में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) कार्यक्रमों की एक सूची विवरण ख में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ग) योजना पद्धति के अनुसार अनुदानों का उपयोग किया गया था।

(घ) कार्यक्रम-वार लाभान्वित लोगों की संख्या को दर्शानें वाला विवरण-क पर दिया गया है।

विवरण-क

वर्ष 1994-95, 1995-96 **तथा** 1996-97 **के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संस्थाओं को कार्यक्रम निर्मुक्त अनुदान की राशि दर्शानें वाला विवरण**

(रूपए लाख में)

क्रं. सं.	कार्यक्रम का नाम	1994-95		1995-96		1996-97	
		संस्थाओं की संख्या	निर्मुक्त राशि	संस्थाओं की संख्या	निमुर्क्त राशि	संस्थाओं की संख्या	निर्मुक्त राशि
1.	ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन	1585	199.90	1751	222.08	190	60.45
2.	पोषण कार्यक्रम	2410	451.70	1918	681.76	2252	208.19
3.	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1214	757.36	1237	952.99	557	462.02
4.	कामकाजी एंव रोगी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच	4248	1732.79	4163	1705.72	4032	1515.21
5.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	537	549.93	650	648.51	15	103.24
6.	वार्षिक अनुदान	1595	68.65	2122	94.88	630	36.90
7.	होलीडे होम	175	11.84	168	9.81	4	0.36
8.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	103	21.51	105	32.14	110	35.70
9.	महिला मंडल	292	173.79	285	215.40	242	187.19
10.	परिवार परामर्श केन्द्र	379	275.91	390	410.35	366	340.00

विवरण-ख

उन कार्यक्रमों को दर्शानें वाला विवरण जिनके लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम

-कामकाजी तथा रोगी महिलाओं के लिए क्रेच
-व्यस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के गहन पाठ्यक्रम
-व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
-स्वैच्छिक कार्रवाई ब्यूरो तथा परिवार परामर्श केन्द्र
-ग्रामीण एंव गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजनाएं
-क्रेच कार्यकर्ता प्रशिक्षण
-क्षेत्र परामर्श
-सामान्य सहायता अनुदान
-होलीडे होम
-कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल
-प्रकाशन
--"सोशल वेलफेयर"
-"समाज कल्याण"

बोर्ड की प्रायोजित योजनांए

-कल्याण विस्तार परियोजना (ओ पी)
-कल्याण विस्तार परियोजना (सीडी)
-सीमा क्षेत्रों में कल्याण विस्तार योजनांए
-समेकित बाल कल्याण सेवाओं की तत्कालीन-प्रदर्शन परियोजनाओं में बालबाड़ियां
-बालबाडियों एंव दिवा देखभाल केन्द्र के माध्यम से पोषण कार्यक्रम ।

वर्ष 1994-95, 1995-96 **तथा** 1996-97 **के दौरान कार्यक्रम वार लाभान्वित लोगों की संख्या को दर्शानें वाला विवरण ।**

लाभार्थियों की संख्या

क्रं. सं.	कार्यक्रम का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1.	ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन	46250	54400	8750
2.	पोषण कार्यक्रम	157520	157520	157520
3.	व्यस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के गहन पाठ्यक्रम	30375	30925	14925
4.	कामकाजी एंव रोगी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच	236875	237275	23550
5.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	4682	4885	153
6.	वार्षिक-अनुदान	65951	61316	20667
7.	होलीडे होम	5265	5385	325
8.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	4945	4862	5575
9.	महिला मंडल	64010	64832	76163
10.	परिवार परामर्श केन्द्र	27634	21742	26352

बिहार में कल्याण योजनांए

2167. **श्री नागमणि** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में सभी कल्याण योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आंबटित की गयी है,

(ख) कुल आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है, और

(ग) उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि का क्या किया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार सरकार को आबंटित राशि के ब्यौरे विवरण-क में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) कुछ योजनाओं के सबंध में उपयोग की गई राशि, जिसके लिए आंकडे उपलब्ध हैं, विवरण-ख में दी गई हैं।